

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राज्या सं- 123/24 गौतम-वगलराम वि-नैनाथ कोरा

ना  
अहम  
हुक्म व  
में जा

रबीकार विभा जाडर उक्त विवाहित श्रीमि के  
वादीगण के हिससे ही श्रीमि का वंदावा प्रत्याव  
तयार करने हेतु तहसीलदार वायलु के समिपानु  
नियुक्त विभा जाडर कोरा विभा जाया है  
कि तहसीलदार वायलु वादीगण के हिससे ही  
श्रीमि का वंदा मिश्रण 105 वाडव 3050 डालर  
की ध्यान में रखते हुए नियम-18 के 21  
की पालना करते हुए दोनों पक्षों के रूबरु  
विभाजन प्रत्याव तयार कर मिजवासे तथा  
पक्षकारों के मध्य कौवागमन हेतु सामंजस्य  
नाम्य भी छोड़ा जावे। आग्रामिडु डिपी फर्मा  
जारी होडर विभाजन प्रत्याव के इंतजार  
में पञ्जावली दिनांक- 24/09/25 को प्रेष ही

सहायक कलक्टर (S.D.O.)  
वायलु

24/9/25

पञ्जावली दिनांक 24/9/25 को प्रेष ही  
हस्ताक्षर वायलु से विभाजन प्रत्याव प्राप्त नहीं  
हुआ है। श्रीमि पी.बी.बी. आरिफा का पत्र दिनांक  
हमें से मिला है दिनांक 24/9/25 को प्रेष ही  
24/9/25 को प्रेष ही

24/9/25

वादी वकील उपस्थित। तहसील 31  
वायलु से विभाजन प्रत्याव प्राप्त जिसे  
श्रीमि पञ्जावली किया गया। वादी वकील  
विभाजन प्रत्याव पर बहस आई है। उनका  
चाहने है क्वॉलर विभा जाडर पञ्जावली  
दिनांक- 23/9/25 को प्रेष ही

सहायक कलक्टर (S.D.O.)  
वायलु



तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

राजस्व वाद 123/2024

अनवान् बगताराम वगैरा बनाम नेनाराम वगैरा

नं. व तारीख अडकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

23.12.2025

वादी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी वकील की एक पक्षीय बहश सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। लिहाजा वादी का वाद व तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है।

कं सं.	नाम खातेदार	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	गेनाराम पुत्र जवाराराम का हिस्सा 1/3, बगताराम पुत्र जवाराराम 1/3 हिस्सा, रघुनाथराम पुत्र पैलादराम 1/6 हिस्सा, सूजी पत्नि स्व. पैलादराम 1/6 हिस्सा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	लापला	917/570	2.9081	वा.सो.	0.14
			918/570	0.3994	वा.सो.	0.02
			922/527	0.6267	वा.सो.	0.03
			924/746	3.1637	वा.सो.	0.16
योग:-			04	7.0979	-	0.35
2.	कंवराराम पुत्र पेमाराम हिस्सा 1/4, भंवराराम पुत्र पेमाराम हिस्सा 1/4, मोहनराम पुत्र पेमाराम 1/4, कंकू पत्नि पेमाराम 1/4 हिस्सा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	लापला	529	0.1133	गं.मु. ढाणी	-
			917/570	3.4743	वा.सो.	0.17
			918/570	0.3994	वा.सो.	0.02
			922/527	0.6267	वा.सो.	0.03
			924/746	2.4842	वा.सो.	0.12
योग:-			05	7.0979	-	0.34
3	अणसी पत्नि गोधूराम हिस्सा 1/36, केशाराम पुत्र शंकराराम 1/36 हिस्सा, कंसाराम पुत्र चिमाराम 1/9 हिस्सा, कंसाराम पुत्र फुसाराम 1/12 हिस्सा, चूनाराम पुत्र महाराम 1/27 हिस्सा, जियाराम पुत्र गोधूराम 1/36 हिस्सा, जोगाराम पुत्र शंकराराम 1/36 हिस्सा,	लापला	917/570	6.3824	वा.सो.	0.32
			918/570	2.3846	वा.सो.	0.12
			920/523	3.1025	वा.दो.	0.19
			922/527	1.4964	वा.सो.	0.07
			922/527	2.4685	वा.सो.	0.12
			924/746	2.2756	वा.सो.	0.11
			924/746	3.1837	वा.सो.	0.16

लक्ष्मण कलक्टर (SDO)  
बायतु

गोपुराम 1/36  
 हिस्सा, धन्नाराम  
 पुत्र फुसाराम  
 1/12 हिस्सा,  
 गेनाराम पुत्र  
 निम्बाराम 1/9  
 हिस्सा, पारुदेवी  
 पत्नी गेहाराम  
 1/27 हिस्सा,  
 बाबुलाल पुत्र  
 गोधुराम 1/36  
 हिस्सा, मुकनाराम  
 पुत्र चिमाराम 1/9  
 हिस्सा, माडू पत्नी  
 पताराम 1/12  
 हिस्सा, रामाराम पुत्र  
 मेहाराम 1/27  
 हिस्सा, वरजुदेवी  
 पत्नी शंकराराम  
 1/36 हिस्सा,  
 शिवलाल पुत्र  
 शंकराराम 1/36  
 हिस्सा, सजियो  
 पत्नी फूसाराम  
 1/12 हिस्सा जाति  
 मेघवाल साह देह  
 खातेदार

योग:-

07 21. 2937 - 1.09

4	अणसी पत्नी गोधुराम 1/60 हिस्सा, केंकु पत्नी पेमाराम 1/20 हिस्सा, कंवाराराम पुत्र पेमाराम 1/20 हिस्सा, केशाराम पुत्र शंकराराम 1/60 हिस्सा, केशाराम पुत्र चिमाराम 1/15 हिस्सा, केशाराम पुत्र फूसाराम 1/20 हिस्सा, गेनाराम पुत्र जवाराराम 1/15 हिस्सा, चुनाराम पुत्र मेहाराम 1/45 हिस्सा, जियाराम पुत्र गोधुराम 1/60 हिस्सा, जोगाराम पुत्र शंकराराम 1/60 हिस्सा, तगाराम पुत्र गोधुराम 1/60 हिस्सा, धनाराम पुत्र फूसाराम 1/20 हिस्सा, नैनाराम पुत्र निम्बाराम 1/15	लापला	917/570	0.2844	बा.सो.	0.01
			918/570	0.0930	बा.सो.	-
			922/527	0.1170	बा.सो.	-
			924/746	0.3240	बा.सो.	0.02

बंधुबक  
 बंधुबक (SDO)  
 बंधुबक

हिस्सा, पारुदेवी पत्नी मेहाराम 1/45 हिस्सा, बगताराम पुत्र जवाराराम 1/15 हिस्सा, बाबुलाल पुत्र गोधुराम 1/60 हिस्सा, भंवराराम पुत्र पेमाराम 1/20 हिस्सा, मुकनाराम पुत्र चिमाराम 1/15 हिस्सा, माडू पत्नी पताराम 1/20 हिस्सा, मोहनराम पुत्र पेमाराम 1/20 हिस्सा, रघुनाथराम पुत्र पैलादराम 1/30 हिस्सा, रामाराम पुत्र मेहाराम 1/45 हिस्सा, वरजूदेवी पत्नी शंकराराम 1/60 हिस्सा, शिवलाल पुत्र शंकराराम 1/60 हिस्सा, सजियों पत्नी फूसाराम 1/20 हिस्सा, सूजी पत्नी पैलादराम 1/30 हिस्सा जाति मेघवाल सा देह खातेदार						
योग:-	004	0.8184	-	0.03		

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है।  
विभाजन प्रस्ताव का नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार  
बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करें तथा साथ ही  
पक्षकारों के मध्य रास्ते के रूप में रखी गई शामलाती भूमि को राजस्व  
रेकॉर्ड में गैरमुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे। डिग्री पर्चा जारी होकर  
पत्रावली फैसल नुमांर हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो

पंचायत कलक्टर (SDO)  
बायतु

अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान R.A.S.  
बनाम

वादी

1. बगताराम पुत्र जवाराराम
  2. गेनाराम पुत्र जवाराराम
  3. केंकू पत्नि पेमाराम
  4. कंवराराम पुत्र पेमाराम
  5. भंवराराम पुत्र पेमाराम
  6. मोहनराम पुत्र पेमाराम
  7. रघुनाथराम पुत्र पैलादराम
  8. सुजी पत्नि पैलादराम
- जाति मेघवाल निवासी लापला  
पटवार क्षेत्र कोसरिया तहसील  
बायतु।

प्रतिवादीगण

1. नेनाराम पुत्र निम्ब्वाराम
  2. गोदूराम पुत्र निम्ब्वाराम
  3. केशाराम पुत्र शंकराराम
  4. जोगाराम पुत्र शंकराराम
  5. धन्नाराम पुत्र फूसाराम
  6. कैसाराम पुत्र फूसाराम
  7. सजियों पत्नि फूसाराम
  8. शिवलाल पुत्र शंकराराम
  9. वरजू पत्नि शंकराराम
  10. माडू पत्नि पताराम
  11. मुंकराराम पुत्र चिमाराम
  12. केशाराम पुत्र चिमाराम
  13. चुनाराम पुत्र मेहाराम
  14. रामाराम पुत्र मेहाराम
  15. पारु पत्नि मेहाराम
- जाति मेघवाल निवासी लापला  
पटवार क्षेत्र कोसरिया तहसील  
बायतु।
16. तहसीलदार बायतु।

दावा बाबत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 123/2024

निर्णय दिनांक :- 23.12.2025

वादी की ओर से वकील श्री किशनाराम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.12.2025 को (नाम पीठासीन अधिकारी) श्री कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव डिकरी का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(कल्पित शिवरान)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस
जोड़	जोड़

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु  
बायतु

